संख्या 332/18–2–2019–97(ल0उ0)/2016

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
प्रमुख सचिव,
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन ।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 26 अगस्त, 2019

विषयः– उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/उपक्रमों में सामग्री एवंसेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था के अनिवार्य रूप से उपयोग किये जाने विषयक।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या– 11/2017/523/18–2–2017–97(ल0उ0)/2016 दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा प्रदेश के सभी विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं आदि में सामग्री एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस, जेम (GeM) पोर्टल को अंगीकृत करते हुये इस पोर्टल के माध्यम से कय किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है। उक्त शासनादेश में यह उपबंध किया गया है कि जो सामग्री/सेवाएं जेम पर उपलब्ध हैं, उन्हें जेम पोर्टल से ही कय किया जाये, परंतु कई प्रकरण ऐसे सामने आये हैं जिनमें GeM की अनदेखी करते हुए ई–निविदा के माध्यम से खरीद की गयी। यह संगत शासनादेश का उल्लंघन है एवं यह कृत्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में भी आता है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जो सामग्री एवं सेवाएं GeM पर उपलब्ध है, उन्हें अनिवार्यतः GeM से ही क्रय किया जाये। ऐसी सामग्री एवं सेवाएं जो GeM पर उपलब्ध

Scanned by CamScanner

न्हीं है, उन्हें जेम पोर्टल पर श्रेणीबद्ध कराने हेतु Request के माध्यम से भारत सरकार को अवगत कराया जाये, ताकि उक्त सामग्री एवं सेवा की श्रेणी सृजित की जा सके।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
प्रमुख सचिव,
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन,
उ0प्र0 षासन।

Scanned by CamScanner